तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.09/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.11.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र अमराराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड़ के पास, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 13.2.2023 को फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड़ के पास, छावनी, शिवगंज में प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र अमराराम जी प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2005 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./261/Act/2023/305 दिनांक 27.2.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथी को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राव की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर, छावनी, शिवगंज का प्रतिवादी अभियुक्त प्रोपराईटर है जिसमें अभियुक्त का किराणा का छोटा सा व्यापार है तथा वह अपने उक्त दुकान में किराणा का छोटा–मोटा सामान बेचता है। अभियुक्त की दुकान से जो घी (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना लिया गया था वह मिथ्याछाप पाया गया है जिसमं अभियुक्त की कोई गलती नही है, क्योंकि प्रतिवादी अभियुक्त की दुकान में घी (कृष्णा ब्राण्ड) पैकिंग व सीलबंद हालत में था जो प्रतिवादी अभियुक्त ने सुमेरपुर में किराणा की बडी दुकान से खरीद कर अपनी दुकान में बिक्री हेतु लाया था। प्रतिवादी अभियुक्त अपनी दुकान में मूल कम्पनी पैक्ड अवस्था में ही घी बेचता है। खुला घी नही बेंचता है। प्रतिवादी अभियुक्त ने जिस पैकिंग अवस्था में घी (कृष्णा ब्राण्ड) को क्रय किया है, उसी पैकिंग अवस्था में उसने विक्रय किया है, इसमें प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा कोई मिलावट या लेबल से छोडछाड नही की गई है। उक्त खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) की निर्माता भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज, 109th के.एम. स्टोर, दिल्ली–आगरा नेशनल हाईवे नं. 2, दौताणा, चाहटा, जिला–मथुरा है जो उत्तर प्रदेश की कम्पनी है तथा इस कम्पनी ने कम्पनी खोलते समय उत्तर प्रदेश सरकार से अवश्य ही सुरक्षा मानकों का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया होगा, जो कम्पनी को पक्षकार बनाये जाने पर ही ज्ञात हो सकता है, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

........लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.09/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

जानबूझकर निर्माता कम्पनी एवं उसके सप्लयार/होलसेल डीलर को पक्षकार नही बनाया हैं। यदि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिया गया घी मिथ्याछाप पाया गया है तो इस हेतु निर्माता कम्पनी जिम्मेदार है, क्योंकि घी की पैकिंग व लेबलिंग निर्माता कम्पनी द्वारा की गई है। जिस हेतु अभियुक्त को दोषी नही ठहराया जा सकता है व न ही प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बनता है। प्रतिवादी अभियुक्त की दुकान से जो सीलबंद घी के जार बरामद हुये है उस पर प्रतिवादी अभियुक्त की फर्म सुंधा माता किराणा स्टोर का नाम अंकित नही है तथा उस पर उक्त निर्माता कम्पनी का नाम अंकित है। यह कि प्रतिवादी अभियुक्त को उक्त खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) के द्वितीय नमूना भाग की रेफरल लेब से जांच हेतु अपील करने के लिये सूचना नही भिजवाई गई है। अतः प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 13.2.2023 को 1.00 पी.एम. पर फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड़ के पास, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र अमराराम जी प्रजापत उपस्थित मिलें। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) के 20 बॉक्स पैक्ड पैकेट रखे हुए मिले, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदाथ्र घी (कृष्णा ब्राण्ड़) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सुरेश कुमार को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) में से खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये एवं खरीदशुदा घी (कृष्णा ब्राण्ड़) की कीमत राशि रुपये 1,120/– (रुपये अक्षरे एक हजार एक सौ बीस मात्र) अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2005, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता सुरेश कुमार के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (कृष्णा ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से

.....लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.09/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को कागज में लपेटकर सिरों को मोडकर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2005 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूनें को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सील बन्द सील मुहर किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी सुरेश कुमार एवं गवाह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.02.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 13.2.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर में प्रतिवादी सुरेश कुमार से खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2005 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./261/Act/2023/305 दिनांक 27.2.2023 में खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र अमराराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईट, फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड के सामने, छावनी, शिवगंज द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.09/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी सुरेश कुमार, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र अमराराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, छावणी, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र अमराराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुन्धा माता किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.